Regarding alleged increase in infiltrators from Bangladesh

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **(**गोड्डा**) :** सभापति महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, मैं जिस दिन से इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं लगातार एक मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं और सरकार को हमेशा जगाता रहा हूं । वर्ष 1991 में हमारे यहां, संथाल परगना में जनगणना हुई, जहां से मैं सांसद हूं । डीएमके के हमारे मित्र हमेशा डीलिमिटेशन का विषय उठाते हैं, उनके लिए यह ज्यादा सोचने वाली बात है । वर्ष 1991 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45 प्रतिशत थी । श्री बी. मणिक्कम टैगोर जी यह हंसने वाली बात नहीं है, आप ज़रा सीरियसली सोचिए।

संथाल परगना में जब 2011 की जनगणना हुई, तो आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28 प्रतिशत है । मुसलमानों की जनसंख्या, जो कि वर्ष 1991 में नौ प्रतिशत थी, आज 2011 की जनगणना के बाद वह 24 परसेंट है । यह हिंदू-मुसलमान का सवाल नहीं है । पूरे देश भर में मुसलमानों की जनसंख्या चार परसेंट बढ़ी है, लेकिन हमारे संथाल परगना में वह जनसंख्या 15 प्रतिशत बढ़ गई है। वे सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनका बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शीदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, पाकुर, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा तक पूरा फैलाव हो गया है । हम बाबासाहब अंबेडकर की बात करते हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपको इस सदन में बताना चाहता हूं कि आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजीशन की बैठक कर रहा है कि डीलिमिटेशन कैसे होगा और डीलिमिटेशन किस प्रकार से करना है? हमारे मुख्यमंत्री भी वहां जा रहे हैं । लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि वर्ष 2008 का डीलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है । क्या झारखंड इस देश में नहीं है? हमारा ही राज्य एक ऐसा है, जिसमें वर्ष 2008 का डीलिमिटेशन नहीं हुआ है । क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डीलिमिटेशन हो जाता, तो आदिवासियों की एक लोक सभा की सीट और आदिवासियों की तीन विधान सभा की सीटें कम हो जातीं । यही कुलदीप सिंह की डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है ।

आप जिस 1971 के डीलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं । कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डीलिमिटेशन होगा । 1973 में जो डीलिमिटेशन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में भी एक सीट नहीं बढ़ी है । इसलिए, आप पॉपुलेशन की बात मत कीजिएगा और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ी है । लेकिन सीट्स बढ़ी कहां है? सीट्स वहां बढ़ी हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था । आज हम इस सिचुएशन में आए हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की सीटें घटेंगी । आप डीलिमिटेशन कर लो, बीजेपी डीलिमिटेशन कर ले, लेकिन 2008 का डीलिमिटेशन नहीं हुआ ।

आज हमारी आदिवासी लड़कियों से जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं । पूरे देश में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर हमारे संथाल परगना और जामताड़ा में है । इसीलिए, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डीलिमिटेशन करेंगे, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डीलिमिटेशन कीजिएगा ।

आर्टिकल-342 से लेकर 345 तक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 में डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुसलमानों के साथ न हो, उनकी संस्कृति न बदले । आर्टिकल-355 के आधार पर यदि आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हैं, तो आप उसको बनाइए ।

आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

जय हिंद, जय भारत ।